(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 41/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 4 सितंबर 2018

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन निम्नलिखित करदाताओं के वर्ग द्वारा संदत्त विलंब शुल्क का अधित्यजन करती है:

(i) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में अक्तूबरp, 2017 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत की थी किंतु आवेदन संदर्भ संख्यांक सृजन होने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर फाइल नहीं की थी ।

(ii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-4** में अक्तूबर, से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए नियत तारीख तक विवरणी फाइल की है किंतु सामान्य पोर्टल पर गलती से विलंब शुल्क उद्‌गृहीत हुआ था ।

(iii) ऐसे इनपुट सेवा वितरक जिन्होंने किसी कर अवधि जो 1 जनवरी, 2018 और 23 जनवरी, 2018 के मध्य थी, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-6** में विवरणी फाइल करने या प्रस्तुत करने के लिए विलंब शुल्क संदत्त किया है ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार